परिपत्र सं. आर.जी.-5/2012

Member of Parliament Local Area Development Scheme

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAWAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी/42/2011-एमपीलैड्स (खंड-11)

Dated 21 सितंबर, 2012

सेवा में,

आयुक्त,
निगम, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली
सभी जिलों के कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त ।

विषय: वर्तमान एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में संशोधन- परित्यक्त/निलंबित कार्यों को पूरा करना ।

महोदय/महोदया,

लोक लेखा समिति ने मार्च, 2012 में संसद को प्रस्तुत अपनी 55वीं रिपोर्ट में यह इच्छा प्रकट की था कि एमपीलैड योजना के तहत परित्यक्त/निलंबित कार्यों को पूरा करने से संबंधित एक उपयुक्त प्रावधान दिशानिर्देशों में शामिल किया जाए ताकि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के लिए यह अनिवार्य हो जाए कि वे अपनी स्वयं की निधियों से परित्यक्त/निलंबित परियोजनाओं को पूरा कराएं, तथा उन जिला प्राधिकारियों/कार्यान्वयन प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करें जिन्होंने इन परियोजनाओं पर व्यय होने के पश्चात कार्यों का परित्याग कर दिया । समिति की सिफारिश की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स के तहत परित्यक्त/निलंबित कार्यों की देखरेख के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2012 में निम्नलिखित पैरा (सं.3.3.1) जोड़ा जाए:-

"पैरा 3.3.1 <u>परित्यक्त/निलंबित कार्यों को पूरा करना</u>:- यदि अभी भी योजना के तहत कोई परित्यक्त/निलंबित एमपीलैड कार्य मौजूद है, इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से पूरा कराया जाएगा । राज्य सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व भी निश्चित करेगी तथा चूककर्ता पदधारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी । जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग अवश्य ही इस प्रकार होना चाहिए जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था ताकि निधियों के आवंटन की द्विरावृत्ति न हो ।"

2. एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में इन अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाए ।

3. इसे माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

(आर. राजेश)
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. एमपीलैड्स से संबद्ध नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी
6. एनआईसी को, एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।